झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉंची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 2.वि0प्रा0/योजना –35/15/18/बजट /रॉंची, दिनांक– 23.02.2023

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित कार्यक्रम आयोजित करने/भाग लेने हेतु कुल 10,00,000/– (रू0 दस लाख) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित विभाग के पत्रांक–245 दिनांक–30.03.2022 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 17/योजना दिनांक 16.12.2022 के आलोक में Smart India Hackathon, Innovation Cell Account, All India Council for Technical Education, New Delhi हेतु वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में कुल 10,00,000/– (रू0 दस लाख) मात्र की आावंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा लधुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड – 43S220300003A7010321)
3. उपर्युक्त राशि का आवंटन Smart India Hackathon, Innovation Cell Account, All India Council for Technical Education, New Delhi द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (तकनीकी शिक्षा निदेशालय) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रॉंची, झारखण्ड होगें।
5. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से की जायेगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोंत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड़ 1288 है।
8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय। यह निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत, परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक–245/वि0 दिनांक–30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

23/2/23
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2. वि0प्रा0/योजना –35/15/18/बजट /राँची, दिनांक– 23.02.2023

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/23
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2. वि0प्रा0/योजना –35/15/18/बजट /राँची, दिनांक– 23.02.2023

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड,/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–II को Upload करने हेतु/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

23/2/23
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव